



Jana Urban Space Foundation (India)



JANAAGRAHA CENTRE FOR CITIZENSHIP & DEMOCRACY



A S I C S

भारत की शहरी—प्रणाली का वार्षिक सर्वेक्षण

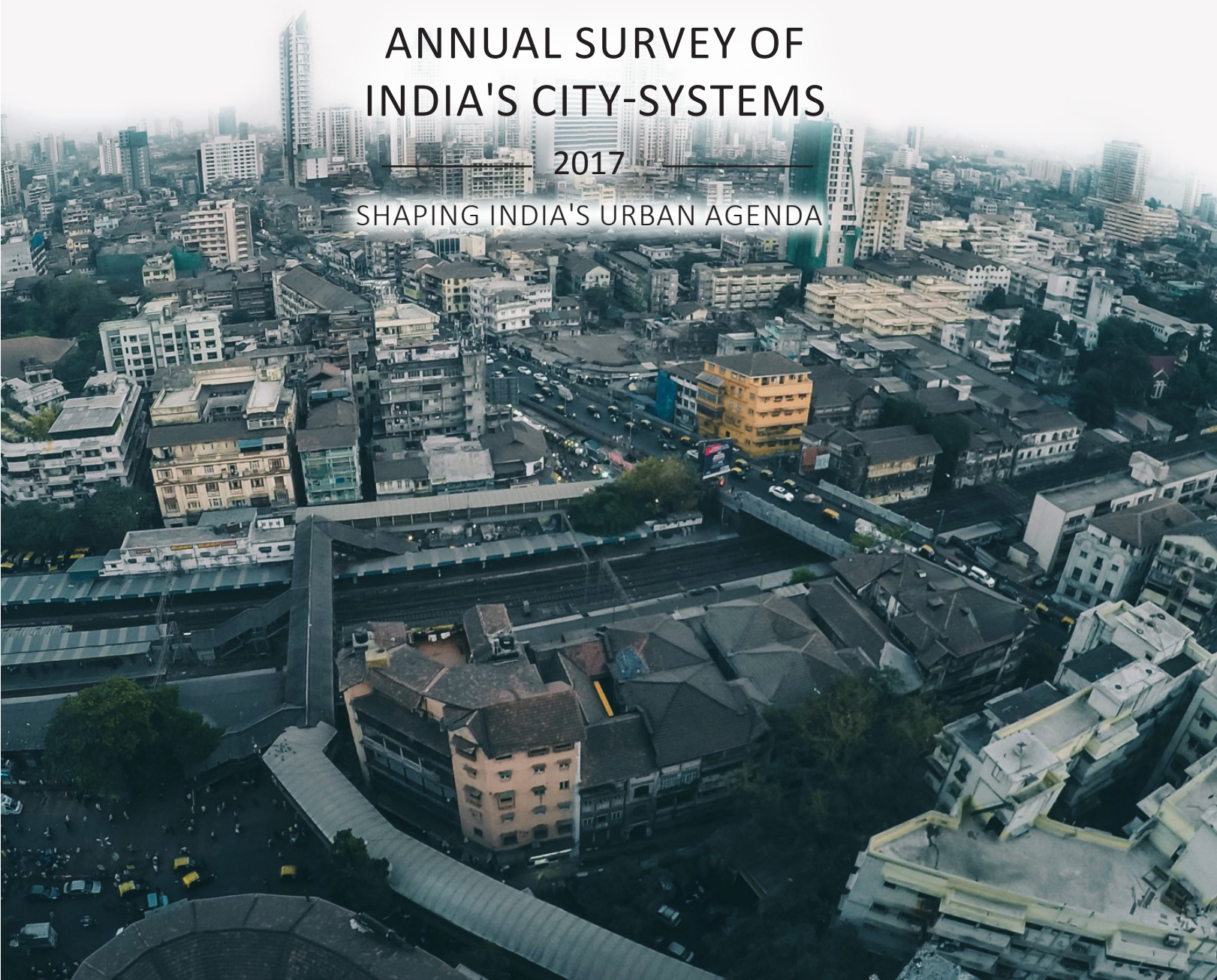
2017

शेपिंग इंडियाज अर्बन अजेंडा

ANNUAL SURVEY OF INDIA'S CITY-SYSTEMS

2017

SHAPING INDIA'S URBAN AGENDA





नागरिकता और लोकतंत्र के लिए जनाग्रह के बारे में

नागरिकता और लोकतंत्र के लिए जनाग्रह केंद्र (जनाग्रह) एक बेंगलुरु स्थित गैर लाभदेही (नोट-फॉर-प्रॉफिट) संस्थान है जो 'जन समूह' का हिस्सा है। जनाग्रह का मिशन भारत के शहरों और नगरों में जीवन की गुणवत्ता को रूपांतरित करना है। यह जीवन की गुणवत्ता को ऐसे परिभाषित करता है जिसमें बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकता की गुणवत्ता सम्मिलित है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जनाग्रह नागरिकों के साथ शहरों में सक्रिय नागरिकता उजागर करने का काम करता है तथा सरकारों के साथ शहरी प्रणालियों (सिटी-सिस्टिम) में सुधार लाने का काम।

जनाग्रह के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया उनके वेबसाइट पे जाइये www.janaagraha-org



Jana Urban Space Foundation (India)

जना अर्बन स्पेस फाउंडेशन (जना यूएसपी) के बारे में

जना अर्बन स्पेस एक व्यावसायिक सेवा सामाजिक उद्यम (प्रोफेशनल सर्वीसिज सोशियल एंटरप्राइज पीएसएसई) है, जो भारत के शहरों के स्थानिक आयाम पर परिवर्तनकारी, विश्वस्तरीय कार्य प्रदान कर रहा है। जन यूएसपी में चार अंतर-अनुशासनात्मक स्टूडियो – शहरी योजना स्टूडियो, शहरी डिजाइन स्टूडियो, स्थानिक मानचित्रण और विश्लेषिकी स्टूडियो और वास्तुकला और डिजाइन स्टूडियो हैं।

यह विभिन्न स्टूडियो शहरी स्थानिक चुनौतियों के समाधान के लिए जना यूएसपी के सिस्टम-संचालित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जन अर्बन स्पेस एक गैर लाभदेही (नोट-फॉर-प्रॉफिट) इकाई है।

आप जना यूएसपी के बारे में www.jusp-org पर और अधिक पढ़ सकते हैं

लेखक

विवेक आनंदन नायर, एसोसिएट मैनेजर – एडवोकेसी एंड रिफॉर्म्स
वी आर वचना, सीनियर एसोसिएट – एडवोकेसी एंड रिफॉर्म्स
संतोष राव, इंटरन – एडवोकेसी एंड रिफॉर्म्स

डिजाइन

विजयल राज, वरिष्ठ ग्राफिक डिजाइनर – डिजाइन और संचार

आरोपण: कृपया इस रिपोर्ट का अभिस्वीकृति के साथ उल्लेख करें –
भारत की सिटी-सिस्टम्स एसिक्स(ASICS) 2017 का वार्षिक सर्वेक्षण:
नागरिकता और लोकतंत्र के लिए जनाग्रह केंद्र

भारत के शहरों में एक सौ हजार समस्याएं
नहीं हैं, उनके पास वही सौ समस्याएं हैं
जो हजार बार दोहराती जाती हैं





अभिस्वीकृतियाँ

भारत की सिटी-सिस्टम्स एसिक्स (ASICS) 2017 की रिपोर्ट का वार्षिक सर्वेक्षण सहयोग और टीम कार्य का एक परिणाम है। एसिक्स (ASICS) 2017 की रिपोर्ट का वार्षिक सर्वेक्षण सहयोग और टीम कार्य का एक परिणाम है।

हम अपनी विभिन्न क्षमताओं में एसिक्स(ASICS) 2017 को सफल बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखितों के योगदान का स्वीकार करते हैं।

श्री अनुपम, लखनऊ नगर निगम, श्री आशीष अग्रवाल, पुणे नगर निगम, श्री आशीष, देहरादून नगर निगम, श्री बैद्यनाथ बरुआ, गुवाहाटी नगर निगम, श्री चिरंजय शाह, पुणे नगर निगम, श्री डी जयराम कौन्सेली, बृहद हैदराबाद नगर निगम, श्री जी.वी.एस.एस. मुर्ती, बृहद विशाखापट्टनम नगर निगम, सुश्री प्रमिला पांडेय, कानपुर नगर निगम, सुश्री शिवानी रावत, देहरादून नगर निगम, श्री राहुल शाह, अहमदाबाद नगर निगम, श्री संजीव, चंडीगढ़ नगर निगम, श्री शांतनु कुमार अग्रहरी, रांची नगर निगम।

हम विशिष्ट रूप से बृहद हैदराबाद नगर निगम के नगरपालिका आयुक्त कार्यालय, ग्रेटर पुणे नगर निगम और थिरुवनंतपुरम नगर निगम को सुचारु डाटा संग्रहण सुसाध्य बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

श्री दीपंकर गुहा और सुश्री निशिता जैन जो डेटा संग्रह को सुसाध्य बनाने के लिए हमारे साथ स्वेच्छा से जुड़े उनका धन्यवाद।

हम उन इंटरनॉ के योगदान का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं जो रिपोर्ट विकास के विभिन्न चरणों में हमारे साथ जुड़े – श्री आश्रय सुरेश, सुश्री अक्षया श्रीकांत, सुश्री अमृता कृष्णन आर, सुश्री एन क्लेरा टॉमी, श्री अतित जयसवाल, सुश्री देविना नियोगी, सुश्री ईवा बार्नस्ले, श्री इयान ली, सुश्री जेसना फिलिप, सुश्री मनोकामना माहतो,

सुश्री मनस्विनी विजयकुमार, सुश्री मिरजाना पेरीक, सुश्री मैथिली माधवन, श्री सोमनाथ कार, सुश्री विदिशा कंडोई और सुश्री तान्या अहमद

जनाग्रह टीम के सदस्य जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वे हैं – श्री आकाश पुरी, श्री मनीष जैन, सुश्री मथांगी चंद्रशेखर, श्री चेन्नाकृष्ण रा रेड्डी, श्री इंदुकुमार सी टी और श्री वेलू मुरुगन।



प्रस्तावना

शहर जटिल सिस्टम होते हैं। शहरी समस्याओं का निदान करने और — अधिक महत्वपूर्ण रूप से — उन्हें हल करने के लिए, हमें उन्हें सिस्टम के ढांचे में देखना चाहिए। “सिटी-सिस्टम्स” संरचना ऐसी एक संरचना है जो हमें हमारी शहरी चुनौतियों के मूल कारणों की पहचान करने में सहायता करती है। सिटी-सिस्टम्स की संरचना में चार घटक शामिल हैं — शहरी नियोजन और डिजाइन, शहरी क्षमता और संसाधन, सशक्त और वैध राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता। भारत के सिटी-सिस्टम्स एसिक्स(ASICS) का वार्षिक सर्वेक्षण भारत के शहरों के सिटी-सिस्टम्स का एक अध्ययन है और कानून, नीतियों, संस्थाओं और संस्थागत प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और हमारे शहरों में जीवन की अंतर्निहित गुणवत्ता के वार्षिक स्वास्थ्य की जांच करना इसका आशय है। इस पांचवें संस्करण के साथ हम भारत के शहरों में परिवर्तनकारी सुधारों से ले कर शहर प्रशासन के विषय में अपनी कार्यक्षमता से परे जाकर कार्य करना चाहते हैं।

(ASICS) एसिक्स क्या है ?

(ASICS) एसिक्स कानून, नीतियों, संस्थानों और संस्थागत प्रक्रियाओं की गुणवत्ता का आकलन कर शहरों में शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है जो साथ मिल कर शासन में मदद करते हैं। इन्हें हम सिटी-सिस्टम्स के रूप में संदर्भित करते हैं।

सिटी –सिस्टम्स आधार हैं, जिस पर अच्छी गुणवत्ता के जीवन का निर्माण किया जाता है।



सिटी –सिस्टम्स आधार हैं, जिस पर अच्छी गुणवत्ता के जीवन का निर्माण किया जाता है।

5^{वे} संस्करण को कैसे किया गया है ?



शहर



प्रश्न



मापदंड



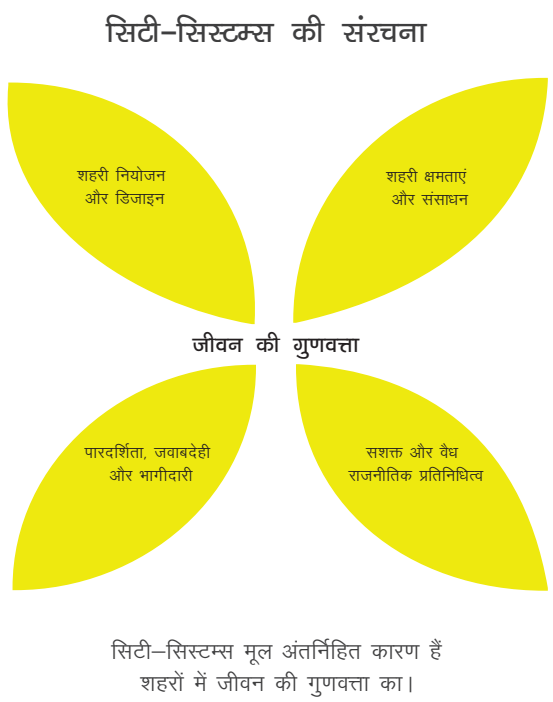
जाँच के मुद्दे

एसिक्स(ASICS) सिटी-सिस्टम्स की संरचना का उपयोग करके विकसित किए गए 89 उद्देश्य मानदंडों पर भारत के शहरों का मूल्यांकन और अंकन करता है और उनकी तुलना लंदन, न्यूयॉर्क और जोहानसबर्ग जैसे बेंचमार्क शहरों के साथ करता है।

एसिक्स(ASICS) क्यों महत्वपूर्ण है ?

सिटी-सिस्टम्स की संरचना का उपयोग करके एसिक्स(ASICS) शहरी प्रशासन का मूल्यांकन करता है, इस संरचना में चार अलग-अलग लेकिन अंतर्संबंधित भाग हैं जो एक शहर का शासन करने में मदद करते हैं और सभी नागरिकों को जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं। यह 0 से 10 के पैमाने पर शहरों को स्कोर प्रदान करता है।

एक शहर का एसिक्स(ASICS) स्कोर इसकी प्रशासन प्रणाली के स्वास्थ्य का संकेत है और इसलिए मध्यम से लंबी अवधि के लिए अच्छी गुणवत्ता का जीवन प्रदान कर पाने की उसकी क्षमता का संकेत है। इसका उद्देश्य शहरी प्रशासन में परिवर्तनकारी सुधारों पर अपनी कार्यक्षमता से परे जाकर कार्य करना है।



50+
कानून

100+
बजट, लेखाकृत वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

250+
आरटीआई अनुरोध

एसिक्स(ASICS) 2017 की रिपोर्ट के दो हिस्से हैं – मुख्य रीपोर्ट प्रमुख निष्कर्ष के साथ और एसिक्स 2017 डेटा बुक।

यह एसिक्स (ASICS) 2017 डाटा-बुक को डाऊनलोड करने के लिए निम्न लिंक पर जाए www.janaagraha.org/asics2017databook

एसिक्स(ASICS) मुख्य रिपोर्ट को इंग्लिश मे पढ़ने इवाम डाउनलोड करने के लिए निम्न लिंक पर जाए <http://www.janaagraha.org/asics/report/ASICS-report-2017-fin.pdf>



55%

नागरिक ऐसे शहरों में रहते हैं जहां
महापौर का कार्यकाल 2.5 साल
या उससे कम है



उदारीकरण के बाद केवल

13%

शहरों ने शहर और देश नियोजन अधिनियम
को अधिनियमित किया है



केवल

2

शहरों ने वार्ड समितियों और क्षेत्र
सभाओं दोनों का गठन किया है



केवल

10

महीने एक नगरपालिका आयुक्त
का औसत कार्यकाल है

54%

शहर अपनी वेतन की लागतों को पूरा करने
के लिए पर्याप्त राजस्व का उत्पादन नहीं करते



39%

कुल व्यय के लिए अपने राजस्व
का औसत प्रतिशत है



70%

शहरों में **30%** से ऊपर बजट की
विविधता थी



35%

औसत स्टाफ रक्ति है



एसिक्स(ASICS) स्कोर 2017

रैंक	शहर	स्कोर	2016 से स्कोर परिवर्तन
1	पुणे	5.1	0.9
2	कोलकाता	4.6	0.5
3	तिरुवनंतपुरम	4.6	0.2
4	भुवनेश्वर	4.6	1.1
5	सूरत	4.5	1.3
6	दिल्ली	4.4	0.8
7	अहमदाबाद	4.4	1.1
8	हैदराबाद	4.3	0.3
9	मुंबई	4.2	0.1
10	रांची	4.1	0.8
11	रायपुर	4.0	0.7
12	कानपुर	3.9	0.2
13	लखनऊ	3.8	0.5
14	गुवाहाटी	3.8	--
15	भोपाल	3.7	--
16	लुधियाना	3.5	0.5
17	विशाखापट्टनम	3.4	--
18	जयपुर	3.4	0.8
19	चेन्नई	3.3	-0.3
20	पटना	3.3	-0.1
21	देहरादून	3.1	--
22	चंडीगढ़	3.1	1.0
23	बेंगलुरु	3.0	-0.3



लंडन
स्कोर: 8.8



न्यूयॉर्क
स्कोर: 8.8

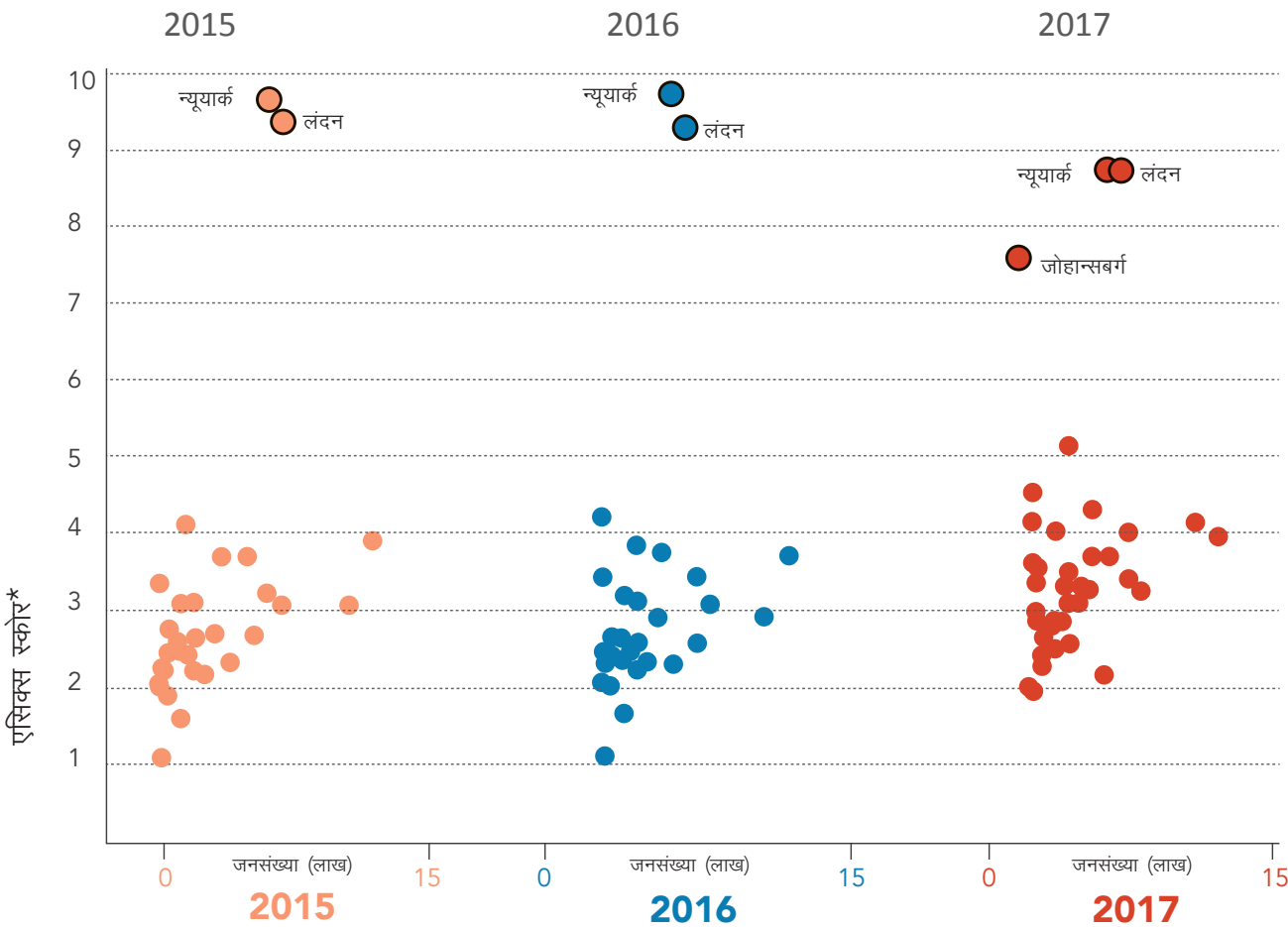


जोहानसबर्ग
स्कोर: 7.6

भारत में सिटी-सिस्टम्स के सुधारों की गति बेहद धीमी रही है। भारत के शहरों को पांच प्रणालीगत चुनौतियों की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है

वर्तमान में हमारे शहरों के सिटी-सिस्टम्स छिन्न-भिन्न अवस्था में हैं और इनमें सुधार बिलकुल मंथर गति से हो रहे हैं। इनके स्कोर 3.0 और 5.1 के बीच होते हैं, जबकि लंदन और न्यूयार्क के स्कोर 8.8 हैं। जोहानसबर्ग, एक विकासशील देश के शहर का अंक 7.6 है। बेंचमार्क शहरों के स्कोर इंगित करते हैं कि इससे पहले कि हम अपने शहरों से अच्छी गुणवत्ता का जीवन मुहैया कराए जाने की उम्मीद कर सकें, हमारे सिटी-सिस्टम्स को किस हद तक मजबूत किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए ग्राफ में यह दिखाई पड़ता है कि कितनी धीमी गति से स्कोर में सुधार हुआ है – पिछले तीन सालों में औसत स्कोर 3.4 से 3.9 की ओर बढ़ा है।

पिछले तीन वर्षों में एसिक्स(ASICS) स्कोर (सभी शहरों के लिए)



* 'प्रत्येक डॉट एसिक्स(ASICS) शहरों में से एक के लिए स्कोर का प्रतिनिधित्व करता है

2013 में अपने पहले संस्करण के बाद से एसिक्स(ASICS) के मुख्य संदेश लगातार बने हुए हैं। भारत के शहरों को स्थायी रूप से नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पांच प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

1. शहरों के स्थानिक नियोजन और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए डिजाइन मानकों के लिए आधुनिक, समकालीन संरचना का अभाव
2. शहरों की वित्तीय स्थिरता और वित्तीय जवाबदेही दोनों के संदर्भ में कमजोर वित्त व्यवस्था
3. कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों के कौशल और सामर्थ्य,संगठन रचना और कार्य-निष्पादन प्रबंधन के मामले में अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन
4. शक्तिहीन महापौर और नगर परिषद और नगर पालिकाओं, पैरास्टाटल एजेंसियों और राज्य विभागों में शासन का गंभीर विखंडन
5. व्यवस्थित नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता की संपूर्ण अनुपस्थिति



01

हमारे शहरों में आधुनिक, समकालीन शहरी नियोजन संरचना की कमी है इससे संभव है कि हम प्रत्येक वर्ष हमारी जीडीपी के 3% तक पहुँच प्राप्त करने से वंचित रहते हो।

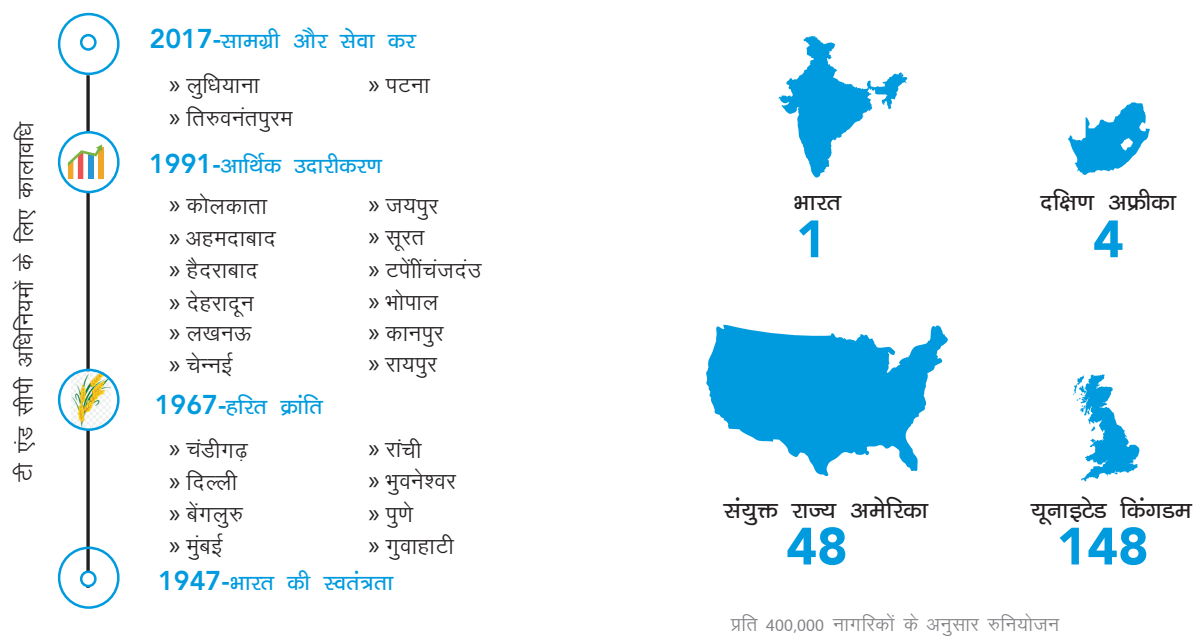
समस्या क्या है?

- अप्रचलित शहर और देश नियोजन कार्य
- स्थानिक विकास योजनाओं की कमजोर तैयारी, क्रियान्वयन और प्रचलन
- सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए डिजाइन मानकों का अभाव

आर्थिक रूप से जीवंत, न्यायसंगत, पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी और लोकतांत्रिक रूप से व्यस्त शहरों के केंद्र में सुनिर्मित और अच्छी तरह से निष्पादित स्थानिक विकास योजनाएं (स्पेशल डेवेलपमेंट प्लैन्स/ एसडीपी) स्थित होती हैं। भारत के शहर नियोजन की तीव्र कमी से ग्रस्त हैं। हमारे मूल्यांकन में योजनागत पीआईई (तैयारी, कार्यान्वयन और प्रवर्तन) में कई मुद्दों को उजागर करते हैं। अप्रचलित शहर और देश नियोजन कार्य, जिनमें से अधिकांश को भारत के आर्थिक उदारीकरण और उसके बाद की आबादी वृद्धि से पहले तैयार किया गया था, जैसे शहरी फैलाव, बंद गतिशीलता नेटवर्क, उच्च कार्बन उत्सर्जन, खरदीने में समर्थ आवासों की कमी, बढ़ती आय असमानता, कम आर्थिक उत्पादकता आदि ने चुनौतियों की एक पूरी श्रृंखला को जन्म दिया है।

अधिकांश टी एंड सीपी अधिनियम पुराने हैं और इन्हें जरूरत है निरीक्षण की

भारत के शहरों में पर्याप्त योजनाकार नहीं हैं।²



शहर और देश नियोजन कार्य केवल परिवर्तन के साधन हैं। ऐसे कई सुधार एजेंडा हैं जिन्हें उनके निरीक्षण का हिस्सा होना आवश्यक है। सबसे पहले, उन्हें नेस्टेड टाइमलाइन के साथ महानगर, नगरपालिका और वार्ड स्तरों पर एसडीपी के तीन स्तरों के निर्माण को जनादेश की आवश्यकता है। इन एसडीपी को उनके भीतर क्षेत्रीय योजनाएं होने की आवश्यकता है, जैसे गतिशीलता योजनाएं। कानून को एसडीपी (नियोजन पाई) की उचित और समयानुकूल तैयारी, कार्यान्वयन और प्रचलन की आवश्यकता है। एसडीपी की सफलता को नापने के लिए, इसे एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य-निष्पादन उपायों की आवश्यकता होती है। इस नए और बेहतर कानून में एसडीपी में नागरिक सहभागिता के लिए विशेष रूप से वार्ड स्तर पर, जगह बनाने की आवश्यकता होगी। और उसी प्रकार नगरपालिका भर में शहर और सभी सार्वजनिक उपयोगिताओं और राज्य विभागों के लिए भी एक जीआईएस आधार मानचित्र। महानगरीय नियोजन समितियाँ, स्थानिक नियोजन बोर्ड, स्थानिक डेटा केंद्र जैसे संस्थानों और संस्थागत तंत्र और अन्य जो कि स्थानिक नियोजन संरचना के कामकाज के लिए आवश्यक हैं उनकी परिकल्पना कानून के माध्यम से की जानी आवश्यक होगी।

भारत के शहरों में सड़कों के लिए डिजाइन मानक नहीं हैं। सड़कें अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए भी नेटवर्क हैं— फुटपाथ, बस स्टॉप, पानी और मलप्रवाह-पद्धति नेटवर्क, तूफानी जल नालियाँ, बिजली के केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और ट्रैफिक निगरानी सभी सड़क नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। सड़कों के लिए उचित डिजाइन मानक न केवल गतिशीलता को बल्कि अन्य उपयोगिताओं को भी रूपांतरित कर सकते हैं।

हम इसे कैसे ठीक करें?

सिटी काउंसिल

- एसडीपी के उल्लंघन की निगरानी, रिपोर्ट और दंड के लिए एक प्रभावी प्रणाली कार्यान्वित करें

राज्य सरकारें

- नियोजन कार्यों की संपूर्ण जाँच और निगरानी करें, परिभाषित उद्देश्यों और मैट्रिक्स के साथ एसडीपी के तीन स्तरों का जनादेश निर्माण करें और नियोजन पीआईई को आवरित करें
- नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एंकर की गयी एक सशक्त एमपीसी का निर्माण करें

भारत सरकार

- सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए मॉडल स्थानिक नियोजन संरचना और डिजाइन मानकों को प्रकाशित करें

2 राफेल टट्स, डाइरेक्टर ऑफ प्रोग्राम डिविजन ऑफ यूएन-हैंबिट्ट (यूएन-हैंबिट्ट के कार्यक्रम प्रभाग के निदेशक)



02

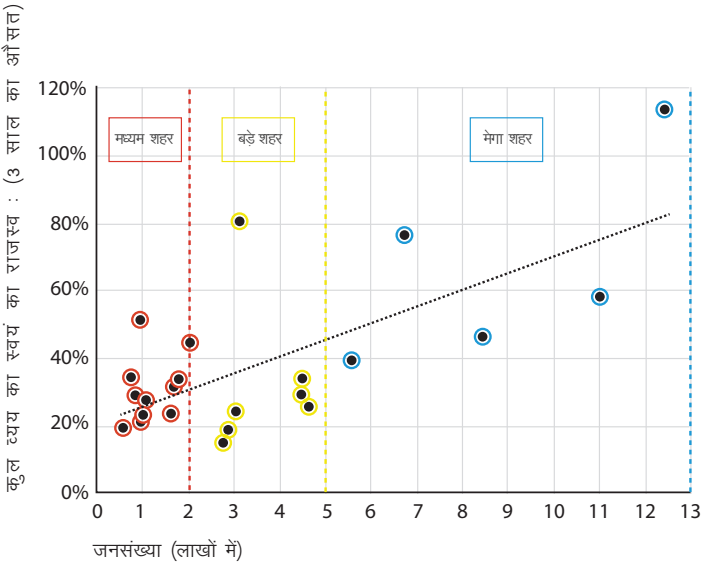
पैसे की उपलब्धता और उसका प्रबंधन दोनों ही भारत के शहरों में प्रभावशाली प्रदर्शन (शो—स्टॉपर) हैं। कई शहर कर्मचारियों के वेतन को आवरित करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं जुटा पाते हैं और काफी अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था रखते हैं।

समस्या क्या है ?

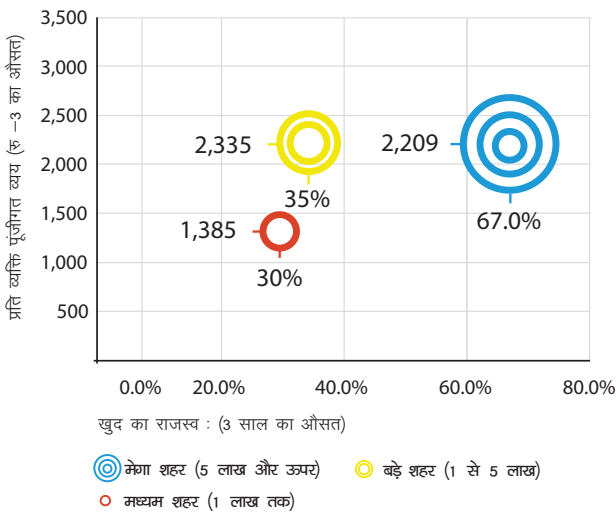
- अधिकांश नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिरता वर्तमान में एक अनिश्चित स्थिति में है
- उनकी वित्तीय जवाबदेही प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं, रिसाव — दोनों जानबूझकर और अन्यथा के चलते सुराखों से ग्रस्त हैं,

शहरों को न सिर्फ नयी अवसंरचना के निर्माण के लिए और सेवा वितरण में कमी को कम करने में निवेश करने के लिए, बल्कि राजस्व व्यय जैसे कि संचालन और रखरखाव और प्रतिभाओं की भर्ती के लिए शहरों में निवेश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। औसतन, **इस अध्ययन में आकलन किए गए शहर, उनके खर्च का केवल 39% धन उत्पन्न करते हैं**, जो उन्हें भारी रूप से राज्य और केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर बनाता है। हमारे विश्लेषण से पता चला है कि कई शहरों के लिए, अपने स्वयं के राजस्व भी कर्मचारियों के वेतन को आवरित नहीं करते हैं। स्वयं के पर्याप्त राजस्व स्रोतों की कमी अवसंरचना और सेवा वितरण में निवेश करने के लिए हमारे शहरों की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करती है।

अधिकांश शहर अपने आप पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं



मध्यम आकार के शहर बड़े शहरों की तुलना में प्रति व्यक्ति आधार पर पूंजीगत व्यय पर बहुत कम खर्च करते हैं



हालांकि, आज भारतीय शहरों में मौजूद वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही प्रणालियों के बहुत ही खराब मानकों के साथ, राजस्व बढ़ाना एक छेद वाली बाल्टी में पैसे डालने के समान होगा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि गुवाहाटी को छोड़कर, किसी भी भारतीय शहर के लिए एक मध्यम या लंबी अवधि की राजकोषीय योजना (एमटीएफपी ६ एलटीएफपी) कार्यशील नहीं है। किसी भी शहर के लिए वार्षिक लेखा की बाह्य लेखापरीक्षा या आंतरिक लेखा परीक्षा करवाना अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। बजट विचरण आंकड़े (बजट बनाम वास्तविक) जिनकी पिछले तीन सालों की औसत शहरों में 36% और रायपुर और रांची के शहरों में 75% के बराबर है उनसे बजट प्रबंधन की कमजोर स्थिति भी स्पष्ट है।

हम इसे कैसे ठीक करें ?

सिटी काउंसिल

- संग्रह क्षमता को सुधारने पर विशिष्ट रूप से ध्यान दें, और इसे सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग समाधानों को जाँचें
- बाजार-अभिविन्यास के माध्यम से राजस्व धाराओं के आकलन के सुधार के आधार
- परिसंपत्तियों पर प्रतिफल में सुधार लाएं, विशेष रूप से पट्टे पर रही संपत्तियों पर
- एक कार्य-निष्पादन एमआईएस संरचना कार्यान्वित करें

राज्य सरकारें

- अतिरिक्त, सुस्त राजस्व धाराओं के व्यवस्थित वित्तीय विकेंद्रीकरण को हाथ में लें। टैक्स दर और आकलन पर संपूर्ण अधिकार हस्तांतरित करें
- एफआरबीएम कानून का गठन करें, हर वर्ष 31 जुलाई तक सीए द्वारा वार्षिक लेखा के ऑडिट का आदेश करें

भारत सरकार

- नगर पालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-निष्पादन रिपोर्टिंग संरचना का निर्माण करें और उसे अपनाएं, नगर पालिकाओं की वार्षिक वित्तीय रैंकिंग प्रकाशित करें
- संपत्ति कर संग्रहण, नगर निगमों के लिए एफआरबीएम, मध्यम अवधि की वित्तीय योजनाएं, कार्य-निष्पादन एमआईएस और वार्षिक खातों के आउटसोर्सिंग के लिए मॉडल और टेम्पलेट प्रकाशित करें
- भविष्य के मिशन में बेहतर वित्तीय प्रशासन को प्रोत्साहित करें



03

मानव संसाधन प्रबंधन भारत के शहरों की कमजोरी है। नगरपालिकाओं में आवश्यकता की तुलना में बहुत कम कर्मचारी हैं। उनके कर्मचारियों में आवश्यक कौशल और दक्षता नहीं होते हैं और उनकी समग्र मानव संसाधन प्रणाली खंडित है।

समस्या क्या है ?

- नागरिकों की मूलभूत सुविधाएँ और सेवा वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरपालिकाओं में पर्याप्त कुशल कर्मचारी नहीं हैं
- नगर पालिकाओं में उचित संगठन रूपरेखा की कमी होती है और बहुत अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन नीतियां होती हैं

बेशक भारत के शहरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिटी-सिस्टम वर्तमान में शहरी क्षमताओं की है। हमारे शहरों में कुशल कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं है। उनकी मानव संसाधन नीतियां अप्रचलित हैं और एचआर सिस्टम और प्रक्रियाएं खंडित हैं। **कर्मचारियों की औसत रिक्ति 35% है, गुवाहाटी के मामले में सबसे अधिक रिक्ति 60% है।** स्वीकार्य पदों के मुकाबले इन रिक्तियों का मूल्यांकन किया गया है, जहाँ कई मामलों में उन्हें शहर के विकास के अनुरूप वैज्ञानिक तरीके से अद्यतन नहीं किया गया है। किसी भी शहर में कैडर और भर्ती नियम नहीं हैं, जिनमें नगरपालिका में प्रत्येक भूमिका या स्थिति के लिए तकनीकी कौशल और प्रबंधकीय दक्षता दोनों को आवरित करने वाला आधुनिक कार्य वर्णन शामिल हो।

क्या हम मध्यम आकार के शहरों को अनदेखा कर रहे हैं ?



बड़े शहरों की तुलना में मध्यम शहरों में आयुक्तों का अनुभव एक चौथाई से कम होता है। इनके कार्यकाल भी अक्सर छोटे होते हैं, लगभग एक वर्ष।

शहरों के आयुक्तों को शहरी प्रबंधन में पर्याप्त डोमेन अनुभव नहीं होता है, जिससे दृढ़तापूर्वक प्रदान कर पाने की उनकी क्षमता पर रोक लगती है। औसतन, आयुक्तों को शहरी प्रबंधन में केवल 2.7 वर्ष का अनुभव है। मध्यम आकार के शहरों में 1.2 साल शहरी प्रबंधन के अनुभव वाले आयुक्त हैं, जबकि बड़े और अधिक बड़े शहरों में क्रमशः 2.9 और 4.1 वर्ष के अनुभव के साथ आयुक्त हैं। लुधियाना, गुवाहाटी, देहरादून, कानपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़ में आयुक्तों को शहरी प्रबंधन में एक वर्ष से भी कम समय का अनुभव है।

हालांकि यह सच है कि 23 शहरों में से 15 शहर नगरपालिका कैडर तक की पहुंच रखते हैं, अंतर्निहित नियम काफी कमजोर हैं। हमें हमारे शहरों में आवश्यकता है सशक्त और आधुनिक एचआर नीतियों की जिनमें नौकरी की भूमिकाओं और पदों की संख्या के लिए नियामक मानदंड हों, स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य प्रकार विवरण, जिसमें तकनीकी कौशल और प्रबंधकीय दक्षता दोनों शामिल हों, संगठन डिजाइन और नियंत्रण के क्षेत्र के संबंध में सिद्धांत, एक व्यापक कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी लाभ नीतियां और सीखने और विकास संबंधित नीतियां हों।

हम इसे कैसे ठीक करें ?

सिटी काउंसिल

- मध्यम अवधि की कार्यबल योजना और एक वार्षिक कार्यबल योजना बनाएं, जो कि मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना और वार्षिक बजट के साथ जुड़ी हुई हो
- आवश्यक कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने और प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग-आधारित समाधानों का पता लगाने के लिए पर्याप्त वित्तीय दृश्यता विकसित करें
- कर्मचारियों और विभाग के स्तर पर मात्रात्मक कार्य-निष्पादन मेट्रिक्स स्थापित करें

राज्य सरकारें

- मानव संसाधन प्रबंधन के आधुनिक, समकालीन मानकों तक लाने के लिए कैडर और भर्ती नियमों का निरीक्षण करें
- लक्षित कर्मचारियों के स्तरों को पूरा करने या प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग-आधारित समाधानों को अपनाने के लिए नगर पालिकाओं को एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करें

भारत सरकार

- गंतव्य संगठन चार्ट, कार्य प्रकार की भूमिकाओं के लिए नियामक मानक और कर्मचारियों की संख्या, मॉडल कार्य प्रकार विवरण, अन्य नीतियाँ और मॉडल कैडर और भर्ती नियमों सहित नगर पालिकाओं के लिए मॉडल एचआर नीतियाँ प्रकाशित करें
- संपत्ति कर संग्रह, लेखांकन जैसे चुनिंदा कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग-आधारित समाधानों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए पाइलट परियोजनाओं को प्रायोजित करें
- कौशल एजंडा के हिस्से के रूप में नगरपालिका कर्मचारियों को मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित करने के लिए एक नगरपालिका सेवा क्षेत्र कौशल परिषद का गठन करें



04

महापौर और सभासद, जो एक शहर के निर्वाचित नेता हैं, वे शहर में कई प्रमुख कार्यों के प्रभारी नहीं हैं। शासन का विखंडन और सशक्तिकरण के निम्न स्तर उन्हें अप्रभावी बना देते हैं।

समस्या क्या है ?

- लौकिक तीन एफ – फंड्स (निधि), फंक्शंस (कार्य) और फंक्शनरीज (कार्यकर्ता) के हस्तांतरण के निम्न स्तर
- शहरों के भीतर बहुविध पेरामेटर्स और राज्य विभागों के संचालन के साथ शासन का विखंडन

हमारे शहरों में महापौर और सभासद अप्रभावी हैं। उनके पास योजना, आवास, जल, पर्यावरण, अग्नि और आपातकालीन सेवा आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों और सेवाओं के संबंध में पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। औसत, 74 वीं सीए के तहत 18 में से केवल 9 कार्य प्रभावी तरीके से हस्तांतरित किये गए हैं। बेंगलुरु और दिल्ली जैसे मेगा शहर जहाँ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर होते हैं जिनका एक वर्ष का कार्यकाल होता है उनकी तुलना में भोपाल, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर होते हैं जिनका कार्यकाल पांच वर्ष होता है।

महापौर और सभासद अपनी खुद की प्रबंधन टीमों को ना ही भर्ती कर सकते हैं ना ही नौकरी से बरखास्त कर सकते हैं, जिससे शहर के अधिकारियों के कार्य-निष्पादन के लिए सटीक जवाबदेही की उनकी क्षमता गंभीर रूप से बाधित होती है। निधि के निवेश या उधार लेने या बजट को अंतिम रूप देने के संबंध में उनके अधिकार सीमित हैं आकलन किये गए केवल चार शहर राज्य सरकारों (ऋण-सीमा नीति के साथ) की मंजूरी के बिना उधार ले सकते हैं, जिनमें से एक मध्यम आकार का शहर है और तीन बड़े शहर हैं। केवल सात शहर, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना निवेश कर सकते हैं, जिनमें से तीन बड़े शहर हैं और चार मेगा शहर हैं। 23 में से केवल 11 को बजट-सेटिंग में पूर्ण स्वतंत्रता है। इन 11 में से , एक मध्यम आकार का शहर है, छह बड़े शहर हैं और चार मेगा शहर हैं।

उपर्युक्त सभी के परिणामस्वरूप नगरपालिका एक गौरवान्वित सेवा प्रदाता बन गई है, जो स्थानीय स्वशासन या शहरी सरकार से बहुत दूर है। विकास प्राधिकरण (जो योजना को आवरित करता है) पानी प्राधिकरण या बोर्ड (जो पानी और मलप्रवाह-पद्धति को आवरित करता है), परिवहन निगम (जो कि बस परिवहन को आवरित करता है) जैसी पेरास्टेटल एजेंसियां सीधे राज्य सरकारों और उनके भीतर अलग-अलग विभागों/मंत्रियों को रिपोर्ट करते हैं। सार्वजनिक कार्य (सड़क) और पुलिस (यातायात, कानून और व्यवस्था) जिनकी कई शहरों में बुनियादी संरचना और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, ऐसे राज्य विभागों की भूमिका इस विखंडन को अधिक बिगाड़ती है।

हमारे शहर और उनके नेताओं के पास कितने अधिकार हैं ?

	मध्यम और बड़े शहर	मेगा शहर
शहरों में कुल जनसंख्या (लाखों में)	38.7	44.2
पांच साल के महापौरिय (मेयरल) अवधि वाले शहरों का अनुपात	78%	20%
सीधे निर्वाचित महापौर वाले शहरों का अनुपात	33%	-
कराधान शक्तियों के लिए औसत स्कोर	8/10	8/10
कुल व्यय के लिए अपने राजस्व का औसत:	31.6%	67.0%
प्रति व्यक्ति कैपेक्स औसत	1,966	2,209
कार्यों की औसत संख्या न्यागत	8/18	11/18
कर्मचारियों से अधिक सत्ता के लिए औसत स्कोर	4.3/10	5/10

- 55% से अधिक नागरिक उन शहरों में रहते हैं जहां महापौर को 2-5 वर्ष या उससे कम समय का कार्यकाल हासिल है
- औसतन, महापौर का वेतन नगरपालिका आयुक्तों के वेतन का 12% तक कम है
- कोई भी शहर महापौर या परिषद को अपने शहर के आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है
- केवल मुंबई और पुणे ही शहरी नियोजन के कार्य को समर्पित हुए हैं। परास्नातकों (चतेंजंजंसे) को दूसरे शहरों में शॉट्स कहते हैं

यह संरचना, जिसका परिणाम विखंडित शासन के रूप में हुआ है, उत्तरदायित्व के निम्न स्तर की चुनौती प्रदान करता है क्योंकि परास्नातकों का राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होता है है, न कि नगरपालिका के प्रति और इसलिए वे नागरिकों में से हटा दिये जाते हैं।

हम इसे कैसे ठीक करें ?

सिटी काउंसिल

- महापौरों और नगर परिषदों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच तैयार करें जो विकेन्द्रीकरण के लिए वकालत को मजबूत कर सकते हैं
- विकेन्द्रीकरण एजेंडे के लिए नागरिकों से जुड़ें, विश्वास निर्माण करें और उनका समर्थन हासिल करें

राज्य सरकारें

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि महापौरों के पास पांच साल का वक्त है, महत्वपूर्ण कार्यों को सार्थक रूप से पूर्ण किया जाता है, और महापौरों और परिषदों की कर्मचारियों और वित्त पर पूरा अधिकार है संपूर्ण नगरनिगम की दुरुस्ती करें
- पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा महापौर और परिषद को चरणबद्ध तरीके से रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करके रिपोर्टिंग संरचनाओं को स्पष्ट करें

भारत सरकार

- स्थानीय-स्व सरकारों के रूप में सेवा करने वाले नगरपालिकाओं के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसके लिए 74 वें सीए में संशोधन करना
- एक महानगरीय शासन के प्रतिमान की तरफ प्रयासों को लगाना, राज्य सरकारों के साथ सर्वसम्मति विकसित करना



05

भारत के शहरों में वस्तुतः ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां नागरिक अपने पड़ोस में स्थित नागरिक मामलों में भाग ले सकें। यह प्रभाव नगरपालिकाओं की जवाबदेही ही नहीं, बल्कि स्वयं लोकतंत्र की गुणवत्ता भी है। नगर पालिकाओं के वित्त और परिचालन में निम्न स्तर की पारदर्शिता इस समस्या को बिगाड़ती है।

समस्या क्या है ?

- वार्ड समितियां और क्षेत्र की सभाएँ मौजूद नहीं हैं और इसलिए नागरिकों को शहर और उनके पड़ोस में निर्णय लेने की प्रक्रिया से काट दिया गया है।
- सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून, जेएनएनयूआरएम के तहत एक अनिवार्य सुधार, अधिनियमित किए जाने के बावजूद वास्तव में लागू नहीं किया गया

भारत के शहरों में नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता का स्तर निम्न हैं। नागरिक भागीदारी (जैसे वार्ड समितियों और क्षेत्र सभाएँ) के लिए कोई संरचित मंच नहीं है, कोई सुसंगत भागीदारी प्रक्रिया (जैसे सहभागितापूर्ण बजट निर्माण) नहीं है, नागरिक शिकायत निवारण तंत्र कमजोर है और वित्तीय और परिचालन में बहुत निम्न स्तर की पारदर्शिता है। ये सब एक साथ मिलकर सभी नागरिकों और सरकारों के बीच संलग्नता के कमजोर स्तरों में परिणामित हो गया है, जिसका नतीजा सामान्य रूप में विश्वास का निम्न स्तर और शहर में लोकतंत्र की खराब गुणवत्ता के रूप में हुआ है।

मूल्यांकन किये गये 23 शहरों में से केवल 10 शहरों में एक सामुदायिक भागीदारी कानून (सीपीएल) है, यह जीएनएनयूआरएम के तहत शुरू किया गया एक सुधार उपाय, जो कि नागरिक भागीदारी के लिए वार्ड समितियों और क्षेत्रीय सभाओं के गठन का जनादेश देता है। फिर भी, जबकि अधिकांश शहरों में वार्ड समितियों का गठन किया गया है, वहीं केवल दो शहरों, गुवाहाटी और हैदराबाद ने क्षेत्र सभाओं का गठन किया है।

नागरिक चार्टर, जो जवाबदेही और शिकायत निवारण के शक्तिशाली उपकरण हैं, वे 23 शहरों में से 9 में गायब हैं। जहां वे मौजूद हैं, वहां सेवा स्तर का कोई उल्लेख नहीं है, और कुछ राहत सेवाओं के लिए सर्विस डिलिवरी और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ समय सीमाओं का उल्लेख करती हैं, जहां सेवा स्तर पूरे नहीं होते हैं। एक ओम्बुड्समैन, जो विशेष रूप से ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए होता है, तीन भारतीय शहरों भुवनेश्वर, रांची और तिरुवनंतपुरम को छोड़कर बाकी सब शहरों में लापता है।

डेटा और सूचनाएँ केवल तभी उपयोगी होते हैं जब वे नागरिकों द्वारा आसानी से उपयोग करने योग्य हों। जबकि पीडीएफ फॉर्मेट्स नागरिकों के लिए नागरिक सेवा केंद्रों की सूची देखने के लिए अच्छी बात हो सकती हैं, परंतु वे खुद होकर शहर के वित्त और सार्वजनिक कार्यों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। नागरिकों को सार्थक रूप से संलग्न करने के लिए, उन्हें क्रियान्वित जानकारी के साथ सक्षम होना चाहिए, एक ऐसा पहलू जो एक खुले डेटा ढांचे को संबोधित करता है – न सिर्फ नागरिकों को डेटा तक आसानी से पहुँचने की अनुमति देकर, बल्कि नागरिक समाज संगठनों, मीडिया और दूसरों को भी जानकारी को एकीकृत करने और उसे विश्लेषण करने के लिए सक्षम करते हुए और विशिष्ट कारणों के लिए वकालत करने का प्रयास करते हुए। हम पाते हैं कि मूल्यांकन किए गए 23 भारतीय शहरों में से 19 को खुले डेटा प्रारूप में बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण डेटा सेटों को न तो अनिवार्य किया गया है न ही उन्हें जारी किया गया है।

हम इसे कैसे ठीक करें ?

सिटी काउंसिल

- खुले डेटा मानकों को अपनाने, वित्त और संचालन में आमूल पारदर्शिता में प्रवेश करें। पड़ोस स्तर पर व्यवस्थित रूप से कार्रवाई करने योग्य डेटा प्रदान करें
- सहभागी बजट को लागू करें

राज्य सरकारें

- सीपीएल और पीडीएल लागू करें, नियमों को सूचित करें और उन्हें वास्तव में लागू करें
- नगरपालिकाओं के लिए विशेष रूप से नागरिक शिकायत निवारण के लिए ओम्बुड्समैन का कार्यालय बनाएं

भारत सरकार

- भावी शहरी मिशनों में प्रदर्शन के शर्त के रूप में सीपीएल और पीडीएल को लागू करना शामिल करें

3 इन शहरों ने वार्ड समितियों और क्षेत्र सभाओं दोनों वर्गों के लिये प्रावधानों के साथ सीपीएल को अधिनियमित किया है और संबंधित नियमों को भी सूचित किया है।



तो, हम भारत के शहर—प्रणाली को कैसे ठीक करें?

नगर परिषदों, राज्य सरकारों और भारत सरकार के राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक नेताओं को परियोजनाओं के दो ट्रैक दृष्टिकोण और सुधारों को अपनाना चाहिए। नीचे दिए गये शहर—प्रणाली सुधार उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वितरित करने के लिए हमारे शहरों की क्षमता को बड़े पैमाने पर रूपांतरित करेंगे।

शहरी नियोजन और डिजाइन

	शहर परिषद	राज्य सरकारें	भारत सरकार
एसडीपी के उल्लंघन की निगरानी, रिपोर्ट और दंड के लिए एक प्रभावी प्रणाली कार्यान्वित करें	✓		
नियोजन कार्यों की संपूर्ण जाँच और निगरानी करें, परिभाषित उद्देश्यों और मैट्रिक्स के साथ एसडीपी के तीन स्तरों का जनादेश निर्माण करें और नियोजन पीआईई को आवरित करें		✓	
नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एंकर की गयी एक सशक्त एमपीसी का निर्माण करें		✓	
सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए मॉडल स्थानिक नियोजन संरचना और डिजाइन मानकों को प्रकाशित करें			✓

शहरी क्षमताएं और संसाधन

• नगर वित्त	शहर परिषद	राज्य सरकारें	भारत सरकार
संग्रह क्षमता को सुधारने पर विशिष्ट रूप से ध्यान दें, और इसे सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग समाधानों को जाँचें	✓		
बाजार—अभिविन्यास के माध्यम से राजस्व धाराओं के आकलन के सुधार के आधार	✓		
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल में सुधार लाएं, विशेष रूप से पट्टे पर रही संपत्तियों पर	✓		
एक कार्य—निष्पादन एमआईएस संरचना कार्यान्वित करें	✓		
अतिरिक्त, सुस्त राजस्व धाराओं के व्यवस्थित वित्तीय विकेंद्रीकरण को हाथ में लें टैक्स दर और आकलन पर संपूर्ण अधिकार हस्तांतरित करें		✓	
एफआरबीएम कानून का गठन करें, हर वर्ष 31 जुलाई तक सीए द्वारा वार्षिक लेखा के ऑडिट का आदेश करें		✓	
नगर पालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्य—निष्पादन रिपोर्टिंग संरचना का निर्माण करें और उसे अपनाएं, नगर पालिकाओं की वार्षिक वित्तीय रैंकिंग प्रकाशित करें			✓
संपत्ति कर संग्रहण, नगर निगमों के लिए एफआरबीएम, मध्यम अवधि की वित्तीय योजनाएं, कार्य—निष्पादन एमआईएस और वार्षिक खातों के आउटसोर्सिंग के लिए मॉडल और टेम्पलेट प्रकाशित करें			✓
भविष्य के मिशन में बेहतर वित्तीय प्रशासन को प्रोत्साहित करें			✓

● नगरपालिका कर्मचारी

	शहर परिषद	राज्य सरकारें	सरकार भारत की
मध्यम अवधि की कार्यबल योजना और एक वार्षिक कार्यबल योजना बनाएं, जो कि मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना और वार्षिक बजट के साथ जुड़ी हुई हो	✓		
आवश्यक कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने और प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग-आधारित समाधानों का पता लगाने के लिए पर्याप्त वित्तीय दृश्यता विकसित करें	✓		
कर्मचारियों और विभाग के स्तर पर मात्रात्मक कार्य-निष्पादन मेट्रिक्स स्थापित करें	✓		
मानव संसाधन प्रबंधन के आधुनिक, समकालीन मानकों तक लाने के लिए केंडर और भर्ती नियमों का निरीक्षण करें		✓	
लक्षित कर्मचारियों के स्तरों को पूरा करने या प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग-आधारित समाधानों को अपनाने के लिए नगर पालिकाओं को एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करें		✓	
गंतव्य संगठन चार्ट, कार्य प्रकार की भूमिकाओं के लिए नियामक मानक और कर्मचारियों की संख्या, मॉडल कार्य प्रकार विवरण, अन्य नीतियाँ और मॉडल केंडर और भर्ती नियमों सहित नगर पालिकाओं के लिए मॉडल एचआर नीतियाँ प्रकाशित करें			✓
संपत्ति कर संग्रह, लेखांकन जैसे चुनिंदा कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग-आधारित समाधानों की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए प्राइलट परियोजनाओं को प्रायोजित करें			✓
कौशल एजंडा के हिस्से के रूप में नगरपालिका कर्मचारियों को मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित करने के लिए एक नगरपालिका सेवा क्षेत्र कौशल परिषद का गठन करें			✓

सशक्त और वैध राजनीतिक प्रतिनिधित्व

	शहर परिषद	राज्य सरकारें	भारत सरकार
महापौरों और नगर परिषदों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच तैयार करें जो विकेन्द्रीकरण के लिए वकालत को मजबूत कर सकते हैं	✓		
विकेन्द्रीकरण एजेंडे के लिए नागरिकों से जुड़ें, विश्वास निर्माण करें और उनका समर्थन हासिल करें	✓		
यह सुनिश्चित करने के लिए कि महापौरों के पास पांच साल का वक्त है, महत्वपूर्ण कार्यों को सार्थक रूप से पूर्ण किया जाता है, और महापौरों और परिषदों की कर्मचारियों और वित्त पर पूरा अधिकार है संपूर्ण नगरनिगम की दुरुस्ती करें		✓	
पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा महापौर और परिषद को चरणबद्ध तरीके से रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करके रिपोर्टिंग संरचनाओं को स्पष्ट करें		✓	
स्थानीय-स्व सरकारों के रूप में सेवा करने वाले नगरपालिकाओं के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसके लिए 74 वें सीएए में संशोधन करना			✓
एक महानगरीय शासन के प्रतिमान की तरफ प्रयासों को लगाना, राज्य सरकारों के साथ सर्वसम्मति विकसित करना			✓

पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता

	शहर परिषद	राज्य सरकारें	भारत सरकार
खुले डेटा मानकों को अपनायें, वित्त और संचालन में आमूल पारदर्शिता में प्रवेश करेंय पड़ोस स्तर पर व्यवस्थित रूप से कार्रवाई करने योग्य डेटा प्रदान करें	✓		
सहभागी बजट को लागू करें	✓		
सीपीएल और पीडीएल लागू करें, नियमों को सूचित करें और उन्हें वास्तव में लागू करें		✓	
नगरपालिकाओं के लिए विशेष रूप से नागरिक शिकायत निवारण के लिए ओम्बुड्समैन का कार्यालय बनाएं		✓	
भावी शहरी मिशनों में प्रदर्शन के शर्त के रूप में सीपीएल और पीडीएल को लागू करना शामिल करें			✓

शहर के नेताओं द्वारा अपनाये जाने वाले एक क्रियात्मक खाका के लिए, कृपया बेंगलुरु ब्लूप्रिंट देखें; (<http://janaagraha.org/files/publications/Blueprint-Vol1.pdf>) and City-Systems Strategy (http://janaagraha.org/files/CSS_BOOK_FINAL.PDF)



कार्यप्रणाली

दृष्टिकोण

एसिक्स भारत के शहरों के शहरी प्रशासन की स्थिति का एक मूल्यांकन है।

एसिक्स 2017, 20 राज्यों के 23 भारतीय शहरों का 89 प्रश्नों पर 150 मानदंडों को कवर करने वाला, 3900 अंकों की जांच करने वाला एक निष्पक्ष बेंचमार्क है और शहरी प्रशासन के लिए एक व्यवस्थित, डेटा-चालित दृष्टिकोण अपनाता है। शहरों को 0 से 10 के पैमाने पर श्रेणीबद्ध करता है। यह बेंचमार्क शहरों, जैसे— लंदन, न्यूयॉर्क के साथ भारतीय शहरों की तुलना भी करता है, क्योंकि वे कार्यात्मक लोकतांत्रिक शहर हैं और उन्हें व्यापक रूप से अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने वाले शहरों के रूप में जाना जाता है। इस संस्करण में हमने एक समकक्ष शहर के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग को भी जोड़ दिया है, जहां भारतीय शहर एक तुलनात्मक लोकतांत्रिक शासन संरचना और जनसांख्यिकीय वितरण के साथ वैश्विक शहर के विरुद्ध खड़े हैं।

एसिक्स 2017, 2013 से चालू किये गये संस्करणों में अपनाये गए दृष्टिकोण पर आधारित है। इस संस्करण के मूल्यांकन में गुवाहाटी और विशाखापत्तनम को समावेशित करके इस सर्वेक्षण के कवरेज की और प्रतिनिधित्व की वृद्धि की गई है। इस सर्वेक्षण में 16 नए प्रश्न जोड़कर और 15 मौजूदा प्रश्नों के मूल्यांकन के दृष्टिकोण को संशोधित कर उसे अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए भी प्रयास किया गया है। इसमें एएमआरयूटी और स्मार्ट शहरों के मिशन के दिशा निर्देशों के बारे में भी विचार किया गया है।

एसिक्स मूल्यांकन में शामिल करने के मुख्य मानदंड के रूप में आकार (आबादी के मामले में) और शहरों के भौगोलिक वितरण को भी लागू करता है

एसिक्स एक मात्रात्मक आकलन का उपयोग करता है, जो व्यक्तिगत स्कोरों परिलक्षित होता है। शहरों में तुलनीय होने वाले स्कोर पत्र का मतलब प्रशासकों और नीति निर्माताओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक प्रणालीगत सुधारों के निदान प्रदान करना है।

इस रिपोर्ट में हमने शहरी लोकल निकाय (यूएलबी) के संदर्भ में शहर और शहरपालिका शब्द का इस्तेमाल किया है।

शहर-प्रणाली घटक और उनके भीतर कई प्रश्न हैं



शहरी नियोजन और डिजाइन
प्रश्नों की संख्या: 32



शहरी क्षमताएं और संसाधन
प्रश्नों की संख्या: 24



सशक्त और वैध राजनीतिक
प्रतिनिधित्व
प्रश्नों की संख्या: 14



पारदर्शिता, जवाबदेही और
सहभागिता
प्रश्नों की संख्या: 19

डेटा संग्रहण

डेटा संग्रह सात महीनों की कालावधि में फैला हुआ है। यह सर्वेक्षण प्राथमिक रूप से प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें प्रासंगिक कानून, नीति दस्तावेज और शहर और राज्य सरकारों की वेबसाइट शामिल हैं। कानूनों और नीतियों में नवीनतम संशोधनों को ध्यान में रखा गया है और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा है कि शुरुआती महीनों में एकत्रित आंकड़ों को 31 दिसंबर 2017 की कट-ऑफ तारीख तक पुनः जांच की गई है। सूत्रों के विस्तृत विभाजन के लिए, कृपया ASICS 2017 डेटा बुक (www.janaagraha-org/asics2017databook) देखें।

हमने नगर पालिकाओं और राज्य के शहरी विकास विभागों के साथ 250 से अधिक आरटीआई आवेदन दायर किए हैं और बाद में आरटीआई का फॉलोअप किया है। आरटीआई के जवाब पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर थे, लेकिन यह संतोषजनक नहीं था।

शहरों का वर्गीकरण

शहरों को आबादी के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

1. मेगा शहर (5 लाख से अधिक)

अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई

2. बड़े शहर (1 से 5 लाख)

भोपाल, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, पटना, पुणे, सूरत और विशाखापट्टनम

3. मध्यम शहर (1 लाख तक)

भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम

स्कोरिंग और वेटेज

सभी प्रश्न 0 से 10 की सीमा पर बनाए गए हैं, कोई भी शहर अधिक से अधिक 10 स्कोर कर सकता है। चयनित प्रश्नों को उप-प्रश्नों में विभाजित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रेडिंग स्कोर दिए गए हैं कि एक ही मानदंड में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। अलग-अलग प्रश्नों के लिए समान महत्व को निर्दिष्ट किया गया है। हम मानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न एक परिभाषित गुणवत्ता की जांच करता है और शहर-प्रणाली को तय करने में उतना ही महत्वपूर्ण है। शहर-प्रणाली के ढांचे के भीतर प्रत्येक श्रेणी को भी समान रूप से भारित किया गया है।

विस्तारित कार्यपद्धति और स्कोर पत्रक का पूरा सेट और डेटा विवरण के लिए कृपया ASICS 2017 डेटा बुक का संदर्भ लें। (www.janaagraha.org/asics2017databook).



लघुरूप

- अमृत – कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
- एसिक्स – भारत के शहर-प्रणाली का वार्षिक सर्वेक्षण
- सीए – चार्टर्ड एकाउंटेंट
- सीपीएल – सामुदायिक भागीदारी कानून
- सीएसओ – नागरी समाज संगठन
- सीएसआर – कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
- जीडीपी – सकल घरेलू उत्पाद
- जीआईएस – भौगोलिक सूचना प्रणाली
- एचआर – मानव संसाधन
- जेडी – नौकरी का विवरण
- जेएनएनयूआरएम – जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन
- एलटीएफपी – दीर्घकालिक वित्तीय योजना
- एमसी अधिनियम – नगर निगम अधिनियम
- एमपीसी – महानगर योजना समिति
- एमटीएफपी – मध्यम अवधि की वित्तीय योजना
- पीडीएल – सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून
- आरपीए अधिनियम – लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व
- आरटीआई – सूचना का अधिकार
- एसडीपी – स्थानिक विकास योजना
- टी एंड सीपी अधिनियम – टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट
- यूएलबी – शहरी स्थानीय निकाय
- यूएन – संयुक्त राष्ट्र
- 74वां सीए – 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम

फोटो क्रेडिट

मुखपृष्ठ और मलपृष्ठ :

www.medium.com/@CreatystBlog/7-photos-that-prove-mumbai-city-is-best-viewed-from-above-a9ceb0721624

कवर के अंदर:

1. www.thehindu.com/news/cities/chennai/chennai-rains-2017-city-survives-heavy-rainfall-braces-for-more/article19980182.ece
2. www.thehindu.com/2005/12/04/stories/2005120412950100.htm
3. www.indianexpress.com/article/india/india-news-india/life-in-deonar-now-we-know-how-dangerous-it-is-here/
4. www.urbanizehub.com/mumbai-residents-take-rubbish-matters-hands
5. www.citylab.com/environment/2015/10/an-indian-city-is-getting-inundated-by-creeping-toxic-foam/409468
6. www.scroll.in/article/726178/why-have-bengalurus-lakes-started-foaming-mysteriously

3,4 पृष्ठ:

www.medium.com/@marianna.stephania/india-101-preguntas-frecuentes-e525b545a2d8

द्वारा समर्थित:



आईडीएफसी फाउंडेशन के बारे में

आईडीएफसी फाउंडेशन आईडीएफसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसे आईडीएफसी ग्रुप द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न विकास गतिविधियों की देखरेख और समन्वय करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत मार्च 2011 में एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इस फाउंडेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीएसआर की गतिविधियों की समूह के व्यापार रणनीतियों के वस्त्र में कुशलतापूर्वक और बुनाई हो और यह सुनिश्चित करना है कि समूह सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करे।

अप्रैल 2014 से प्रभावी (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बाद), आईडीएफसी फाउंडेशन आईडीएफसी ग्रुप के सीएसआर एजेंडे की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत है।



दासरा के बारे में

दासरा, जिसका संस्कृत में मतलब है 'प्रबुद्ध देन', एक अग्रणी रणनीतिक परोपकारी संगठन है जिसका लक्ष्य भारत को बदलना है, जहां एक अरब लोग गरिमा और समानता के साथ कामयाब हो सके। 1999 में अपनी स्थापना के बाद से, दासरा ने हितधारकों (निगमों, संगठनों, परिवारों, गैर-लाभ संस्थाओं, सामाजिक व्यवसाय, सरकार और मीडिया) के ट्रस्ट-आधारित नेटवर्क में शक्तिशाली साझेदारी के माध्यम से सहयोगी कार्यवाई चलाकर सामाजिक परिवर्तन में तेजी लाई है। वर्षों से, दासरा ने ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में अपना सामाजिक प्रभाव गहरा किया है जिसमें किशोर, शहरी स्वच्छता, लोकतंत्र और शासन शामिल हैं, और देश में एक रणनीतिक परोपकार आंदोलन का नेतृत्व कर सामाजिक पूंजी का निर्माण किया है।

www-dasra-org पर अधिक जानकारी प्राप्त करें



A S I C S

भारत की शहरी-प्रणाली का वार्षिक सर्वेक्षण 2017 शेपिंग इंडियाज अर्बन अजेंडा

आपका जवाब पाकर हमें खुशी होगी।

कृपया हमें यहां लिखें anil.nair@janaagraha.org, vivek.nair@janaagraha.org, vachana.vr@janaagraha.org



Jana Urban Space Foundation (India)

जन शहरी अंतरिक्ष फाउंडेशन
तीसरी मंजिल, सेंट्रल, इन्फैंट्री रोड, एसबीआई के आगे
शिवाजी नगर, बेंगलूरु - 560001
टेलीफोन: 080-46680100, फैक्स: 080-41277104
Email : info@janasp.org



JANAAGRAHA CENTRE FOR CITIZENSHIP & DEMOCRACY

नागरिकता और लोकतंत्र के लिए जनाग्रह केंद्र
चौथी मंजिल, यूएनआई बिल्डिंग, थिमैया रोड
वसंत नगर, बेंगलूरु - 560052
फोन: 080-40790400, फैक्स: 080-41277104
Email: asics@janaagraha.org

www.janaagraha.org | www.ipaidabribe.com | www.ichangemycity.com | www.janasp.org

फोन: +91 80 4079 0400